न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर

पीठासीन अधिकारी :– सुभाष चन्द्र आर.ए.एस..

मैनुअल प्र.सं. : 31 / 2025
जीसीएमएस : 2025 / 293

1. राकेश कुमार पुत्र श्री भजनलाल जाति कुम्हार निवासी भोमपुरा तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर (राज0)।
2. धर्मपाल पुत्र श्री मानाराम जाति कुम्हार निवासी भोमपुरा तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर (राज0)।
3. हंसराज पुत्र श्री रतीराम जाति कुम्हार निवासी भोमपुरा तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर (राज0)।
4. सुखराम पुत्र श्री मनीराम जाति बिश्नोई निवासी भोमपुरा तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर (राज0)।

–:प्रार्थीगण

बनाम

1. श्रवण कुमार पुत्र श्रीशेर सिंह जाति जाट निवासी वार्ड नं0 8, रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर (राज0)

–:अप्रार्थी

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

तारीख रजू:– 27.06.2025

उपस्थित अधिवक्ता:–

1. **श्री भूप सिंह अधि. प्रार्थी।**
2. **श्री मोहनलाल बाना अधि. अप्रार्थी सं.1।**

––निर्णय–– **दिनांक 30.01.2026**

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि आवेदकगण आबादी वाके ग्राम भोमपुरा के काश्तकारान, करदाता व मतदाता है आबादी भोमपुरा से सटते पुर्व दिशा में चक 48 एन.पी के प0नं0 234 / 319 मु0नं0 1 के किला नं0 1–10–11–20 व 21 प्रत्येक की 0.228–0.228 है0 गैर. मु. आबादी है तथा किला नं0 21 के दक्षिण में पश्चिम से किला नं0 22 की सीमा तक आम रास्ता है उससे आगे किला नंबर 22 व 23 में अनावेदक की भूमि पड़ती है उससे आगे किला नंबर 4–7–14–17 व 24 गैर.मु. शमशान भूमि है तथा इसी किला नंबर 24 व किला नंबर 25 रकबा राज में वाटर वर्क्स भी प्रस्तावित है। आवेदकगण व आमजन को शमशान व प्रस्तावित वाटर वर्क्स में आने–जाने के लिये कोई स्वीकृतशुदा रास्ता न होकर किला नंबर 21 के दक्षिण दिशा में स्वीकृत रास्ता से अनावेदक के किला नंबर 22 व 23 के दक्षिण दिशा में चले आ रहे अस्वीकृत दो–दो बिस्वा रास्ता से आना–जाना कई सालों से अनावेदक की जानकारी व ज्ञा[illegible] हितार्थ उपयोगी है तथा इस रास्ता के अलावा अन्य [illegible] सरल, सुगम, नजदीक, निकटतम उपलब्ध न[illegible] परिस्थितियों के मध्यनजर उक्त चालू रास्ता [illegible] है। अतः आवेदन मय हल्फनांमा [illegible] कि आवेदन आवेदकगण स्वीकार फरमाया जाकर सार्वजनिक हितार्थ अनावेदक की धृति वाके चक 48 एन.पी. तहसील रायसिंहनगर के पत्थर नंबर 234 / 319 मुरब्बा नंबर 01 के किला नंबर 22 व 23 प्रत्येक में दो–दो बिस्वा यानि 0.025–0.025है0 कुल चार बिस्वा यानि 0.050है० दक्षिणी दिशा चालू रास्ता स्वीकृत फरमाया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2026.02.16 12:11:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण जरिये रजि. नोटिस तलब किया गया एवं तहसीलदार रायसिंहनगर से मौका जांच रिपोर्ट हेतु पत्र जारी किया गया है। अप्रार्थी सं. 1 की तरफ से श्री मोहनलाल बाना अधिवक्ता ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया है कि आवेदक द्वारा शमशान भूमि में आवागमन के लिए सार्वजनिक हितार्थ के लिए मेरी भूमि में रास्ता की मांग की गई है जो विधि विरूद्ध है। धारा 251–क राजस्थान अभिकृति अधि0 के तहत कोई खातेदार अपनी जोत में जाने के लिए रास्ता की मांग कर सकता है परन्तु कथाकथित रास्ता शमशान भूमि में जाने के लिए चाहा गया है जो खारिज करने योग्य है। यहां यह भी उल्लेख किया जाता है कि पूर्व में प्रकरण सं. 57/2015 ठाकरदास आदि बनाम मायावती आदि प्रार्थना पत्र 251–क राज0 का0 अभिकृति अधि0 के तहत रास्ता की मांग की गई थी जो दिनांक 09.08.2016 को खारिज हो चुका है। इस निर्णय के विरूद्ध कोई अपील नहीं हुई है इसलिए यह अंतिम निर्णय है। प्रार्थना पत्र में लिखे गये नामों द्वारा चाहे गये रास्ता से अपनी जोत में जाने के लिए कोई जोत नहीं दर्शायी गई है। इसलिए विधि विरूद्ध है। सभी प्रार्थीगण गांव के निवासीगण है खेतीहर किसान नहीं है जो अपनी जोत में जाने के लिए मांग नहीं की है वर्णित भूमि खेती करने के लिए जोत नहीं है आबादी भूमि व शमशान भूमि बताई गई हैं। ग्राम भोमपुरा के सटते हुए पूर्व दिशा में चक 48 एनपी के प0नं0 234/319 मु0नं0 1 के किला नं0 1–10–11–20–21 प्रत्येक बीघा में 0.228 है0 भूमि में गैर मु0 आबादी है तथा किला नं0 22 व 23 में मुझ उतरदाता की खातेदारी कृषि भूमि है। किला नं0 4–7–14–17 व 24 शमशान भूमि है किला नं0 24 व 25 में वाटर वर्क्स प्रस्तावित है यहां पर यह भी उल्लेख करना आवश्यक है कि चक 48 एनपी के मु0 नं0 2 में सरकारी स्कूल स्थित है। यानि मु0 नं0 1 व 2 के मध्य पटवारी हल्का द्वारा पेमाईश की गई तो यह पाया कि मु0 नं0 1 व 2 के मध्य मु0 नं0 2 में स्कूल की तरफ 17 फुट जगह मु0 नं0 2 में स्कूल के साथ साथ खाली पडी है। अगर यह जगह रास्ता स्वीकृत किया जाता है तो किसी को कोई एतराज नहीं है। इसी आबादी व शमशान भूमि से संबधित श्रीमान के न्यायालय में जयपाल बनाम श्रवणराम प्रार्थनापत्र 251–क राज0 अभि0 अभि0 चल रहा है जिसका केस नं0 242 सन् 2023 है जिस में बहस दरख्वास्त आदेश 01 नियम 10 के लिए तारीख पेशी 12.09.2025 निश्चित है। इस प्रार्थनापत्र में भी शमशान भूमि में जाने के लिए मु0 नं0 2 के किला नं0 2–3–4–5 में रास्ता की मांग की गई है इस प्रकार एक ही जगह जाने के लिए पूर्व में रास्ता [illegible] दिनांक 09.08.2016 को खारिज हो गई उसके विरूद्ध [illegible] कोई अपील नहीं हुई इसलिए अंतिम फैसला है व दूसरा प्रार्थना [illegible] जयपाल बनाम श्रवण कुमार श्रीमान के न्याया[illegible] आइन्दा तारीख पेशी 12.09.2025 निश्चित है तीसरा मु0 नं0 [illegible] 2 के पेमाईस होने पर दोनों मुरब्बो के मध्य पाठशाला के साथ–साथ 17 फुट जगह स्कूल की चारदिवारी के बाहर खाली पडी है इस प्रकार अप्रार्थी अनावेदक की भूमि में प्रार्थीगण किसी भी तरह से रास्ता प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है न्याय हित में प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र भारी हरजाना पर खारिज फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2026.02.16 12:11:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

3. तहसीलदार रायसिंहनगर ने अपने पत्र क्रमांक राजस्व/2025/1190 दिनांक 14.07.2025 की मौका रिपोर्ट से अवगत करवाया है कि मुताबिक रिपोर्ट जांच रिपोर्ट ली गई। मुताबिक रिपोर्ट चक 48 एनपी के 40न0 241/319 मु०न० 01 के किला 4–7–14–17 उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रासंगिक पत्र के सन्दर्भ में भू–अभि निरीक्षक बगीचा से 24 की भूमि गै०मु० श्मशान के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है उक्त भूमि में जाने हेतु रास्ता उपलब्ध नहीं हैं। प्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि में आवागमन हेतु रास्ता की मांग की प्रार्थीगण द्वारा उक्त रकबा में आवागमन हेतु चक 48 एनपी के मु०न० 01 के किला न० 22 व 23 में दो–दो बिस्वा रास्ता की मांग की हैं। मुताबिक रिपोर्ट भू–अभिलेख निरीक्षक चक 48 एनपी के मु०न० 01 में 4–7–14–17–24 में गै0 मु0 श्मशान के नाम दर्ज रिकार्ड है उक्त भूमि में जाने हेतु मौका पर मु०न० 02 के किला न0 2 व 3 मे रास्ता चल रहा है। उक्त चल रहे रास्ता की भूमि मायावली पत्नी शेर सिंह जाति जाट खातेदार दर्ज है व मु०न० 01 के किला न0 22 व 23 भूमि श्रवण कुमार पुत्र शेरसिंह जाति जाट के नाम खातेदार दर्ज रिकॉर्ड हैं। प्रार्थीगण द्वारा गै०मु० श्मशान भूमि में आने जाने हेतु चक 48 एनपी के मु0न0 02 के किला नं. 02 में 0.025 है० तथा मु०न० 01 के किला न0 22 व 23 प्रत्येक में 0.025 कुल 0.075 है० रास्ता प्रस्तावित है। अतः चक 48 एनपी के मु0न0 01 के किला न0 4–7–14–17–24 में स्वीकृत गै०मु० श्मशान में आवागमन हेतु इसी चक 48 एनपी के मु0न0 02 के किला न० 02 में 0.025 है० तथा मु०न० 01 के किला नं. 22 व 23 प्रत्येक में 0.025 कुल 0.075 है० रास्ता स्वीकृत किया जाना उचित है।

4. बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया कि प्रार्थी को अपने खेत में आने–जाने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे। अप्रार्थी के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र के जवाब में अंकित तथ्यों को मध्य नजर रखते हुए कथन किया है कि जिन प्रार्थीगण द्वारा रास्ता चाहा गया है उन सभी की इस चक में जोत भूमि नहीं है इनके द्वारा उक्त रास्ता में श्मशान भूमि व वाटर वर्क्स के लिए रास्ता की मांग की है परन्तु प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र 251 क आरटीएक्ट के तहत पेश किया गया है जो विधि विरूद्व है इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय हर्जाना खारिज किया जावे।

5. अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। तहसीलदार/भू.अभि.निरीक्षक/पटवार हल्का की जांच रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वारा उक्त रास्ता की मांग श्मशान भूमि व वाटर [illegible] के लिए सार्वजनिक हित के लिए रास्ता की मांग की [illegible] प्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थना पत्र 251 क आर[illegible] है जो विधि विरूद्व है धारा 251 क [illegible] पत्र काश्तकारों को अपनी जोत भूमि में आने–[illegible]कृत करने का प्रावधान है अतः प्रार्थना पत्र धारा 251 क आरटीएक्ट स्वीकार किया जाना विधि संमत नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2026.02.16 12:11:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

–:आदेश:–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर
जिला श्रीगंगानगर,राजस्थान

निर्णय आज दिनांक 30.01.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर
जिला श्रीगंगानगर,राजस्थान

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2026.02.16 12:11:26 IST
Reason: SelfAttested